राजस्थान—सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी, देशल दान, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—11/2026 दायर दिनांक :—10.03.2026
जी.सी.एम.एस. :—2026/11 फैसल दिनांक :—15.04.2026

श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री कानजी पिता सोमा भील, निवासी—गडामालजी

विपक्षी

उपस्थित :—

1. भूमिधारी तहसीदार डूंगरपुर —प्रार्थी
2. श्री हितेन्द्र पटेल, अधिवक्ता— विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)
राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मौझा गडामालजी के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि विपक्षी को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :—राजस्व/भू.अ./1903—5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी को आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तो की पालना नहीं कि गई एवं न ही मौका पर आदिनांक तक कब्जा किया गया। विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन नियम 14 (3) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त आदेश द्वारा आवंटित की गई भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षी को जरिए नोटिस जवाब देही तलब किया गया। विपक्षी अधिवक्ता कि ओर से अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विपक्षी को खसरा नम्बर 1 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि जिसका हाल खसरा नम्बर 1018/1 मे से 0.16 हेक्टेयर भूमि जरिये मिसल नम्बर 540/21 दिनांक 13.01.2022 को आवंटित हुई है, जिसका कुल रकबा 2.34 हेक्टेयर हैं। विपक्षी उक्त जमीन पर काबीज काश्त है। उक्त जमीन के आवंटन के बाद विपक्षी नें उक्त जमीन के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल थूहर की बाड लगा कर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा जिस दिन पर्चा मौका बनाया गया उस समय न तो विपक्षी को उक्त आवंटन के कब्जे की सुपुर्दगी की सूचना दी गई तथा न ही आंवटित जमीन के पर्चा मौके की सूचना दी गई। पर्चा मौके के समय कौन उपस्थित था किसकी मौजूदगी मे पर्चा मौका बनाया गया, इसके बारे मे कोई जानकारी है तथा महज पंचायत खेमारू के द्वारा बिना किसी विधिक जाचं के बिना सुचना के पर्चा मौका बनाया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया है, जो कि बेबुनियाद है तथा कोई विधिक आधार नही है। जबकि विपक्षी के कब्जे की मौके पर विधिवत जांच कर आवंटन किया गया है तथा कब्जा सुपुर्दगी के पूर्व से विपक्षी उक्त आवंटित शुदा जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा पंचायत के द्वारा बिना किसी आधार के तथा किसी की उपस्थिति में कब्जा काश्त नहीं होने का पर्चा मौका बनाया गया यह काफी संदेहजनक है जबकि जवाब पत्र के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ जिसमें विपक्षी के द्वारा काश्त की गई जमीन का कब्जा एवं मौके मौके पर थूहर की बाड़ होना कब्जा एवं काश्त को स्पष्ट दर्शाता है तथा मौका पर्चा पर कोई दिनांक्र अंकित नहीं है तथा किस दिनांक को मौके पर पंचायत खेमारू के प्रतिनिधि मौके पर पहुँचे कोई स्पष्ट नहीं है तथा विपक्षी को कब्जा सुपुर्दगी बाबत कोई सूचना दी गई हो स्पष्ट नहीं है। महज आवंटी हस्ताक्षर हेतु मौके पर नहीं मिला के आधार पर प्रार्थना पत्र में आवंटन के निरस्त किये जाने

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

का आधार नहीं हो सकता है जबकि विपक्षी को किसी प्रकार से सूचना ही नहीं दी गई है तथा मौके पर किसी प्रकार से कोई कब्जा बाबत तस्दीक प्राप्त नहीं की गई है जबकि मौके पर विपक्षी ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं जिसकी पटवारी हल्का से मौके की पुनः रिपोर्ट तलब करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा एकतरफा मौके पर्चा रिपोर्ट बिना विपक्षी की सूचना पर्चा मौका बनाया गया। जबकि विपक्षी को सूचना दिया जाकर मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति एवं विपक्षी के कब्जे के बारे में विपक्षी की मौजूदगी में पर्चा मौका बनाया जाकर वर्तमान भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा विपक्षी न्याय पाने से वंचित होंगे तथा न्याय का हनन होगा तथा विपक्षी के द्वारा मौके की आवंटित शुदा जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा पर्चा मौके में जो विपक्षी की अनुपस्थिति के आधार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाने के आदेश फरमावे।

उभयपक्षो की बहस समायत की गई। विपक्षी कि ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया की उक्त आवंटन के पूर्व से विपक्षी का ही आवंटित शुदा जमीन पर कब्जा है। कोई नोटिस सुनवाई नही की गई गैर खातेदारी दर्ज नही है। विभाग के स्तर पर कार्यवाही का अभाव में काश्तकार के विरूद्ध आवंटन निरस्त करना न्यायहित में नही है।

मेरे दवारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जाने पर पाया कि भूमिधारी ने आवंटन शर्तो की पालना नही होने से कब्जा नही होने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया है कि वह काबिज है उन्हे कोई सूचना नही दी गई है। बहस के अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि कब्जा सुपुदर्गी नही दी गई। सक्षम अधिकारी दवारा परीक्षण उपरांत सही आवंटन किया गया है। सभी शर्तो की पालना की गई है। मौके के फोटोग्राफ भी संलग्न किये है। आवंटन आदेश, प्रार्थना पत्र जवाब तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य तथा पर्चा मौका का अवलोकन किया। पर्चा मौका में उल्लेख है कि जिस वक्त कब्जा सुपुदर्गी हेतु खसरा नम्बर 1 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि पर पहूँची। मौके पर प्रार्थी एवं उपस्थितों ने विपक्षी का कब्जा नही होना बताया गया। साथ में संलग्न जमावंदी, खसरा नक्शा का अवलोकन किया तीनो पर एक ही पटवारी के हस्ताक्षर है। कब्जा सुपुदर्गी में विराधाभास उजागर होता है। प्रार्थी को उपस्थित/अनुपस्थित होना बताया गया है। उपस्थितों का जिक्र है परन्तु किसी के हस्ताक्षर नही है। कोई बयान अथवा फोटोग्राफ संलग्न नही है। जिससे साबित हो कि मौके पर जमीन खाली है। और काबिज नही है। अप्रार्थीगण को सूचित किया गया हो ऐसा प्रतीत नही होता है। आवंटन नियमों के अनुसार परीक्षण उपरांत सलाहकार समिति के परामर्श से उपखण्ड अधिकारी, आवंटन करेगा। उल्लेखनीय है कि पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही आवंटन होता है। तहसीलदार सलाहकार समिति का सदस्य भी है। आवंटन के तुरन्त बाद कब्जा सुपुदर्गी फर्द बनाकर अप्रार्थीगण को गैरखातेदार दर्ज किया जाना था। परन्तु ऐसा नही किया गया है। प्रार्थी एवं विभाग दवारा नियमों की पालना में शिथिलता बरतना प्रतित होता है, और उसकी सजा आवंटी को देना न्यायोचित नही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970, खारिज किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि आवंटन आदेश क्रमांक :–राजस्व/भू.अ./1903–5 दिनांक 13.01.2022 की पालना में विपक्षी को आवंटन खसरा नं. 1 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि का नियमानुसार नामान्तरण दर्ज की अग्रिम कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे ।

(देशल दान)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर